145

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 1995 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 24 मार्च, 1995 (चैत्र 3, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, राज्यमंत्री ऊर्जा, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 61 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण वर्ष 1995-96 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री शिव नेताम, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, विधान सभा के अगस्त-सितम्बर, 1994 सत्र में तारांकित प्रश्न क्रमांक-94 पर चर्चा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के संदर्भ में मंत्रिमंडल के सदस्यों के बंगलों पर पिछले पांच वर्षों में हुए व्यय की वर्षवार जानकारी पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, बनवारीलाल अग्रवाल, रघुनन्दन शर्मा, सदस्य, दुर्ग जिले के ग्राम तेंदो में दो युवकों की हत्या होने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री प्रभात कुमार पाण्डेय, मोती कश्यप, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम खिरहनी की तीन आदिवासी युवतियों के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा सामूहिक बलात्कार किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री धरमूराय, सदस्य, सागर जिले के बादरी वन परिक्षेत्र के अनेक स्थानों पर पत्थर का अवैध उत्खनन किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री रघुनन्दन शर्मा, ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य, नरसिंहगढ़ के अनेक ग्रामों में चेचक के प्रकोप से अनेक बच्चों की मौत से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) ठाकुर मोहर सिंह, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम सतोह चक्क में एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ बलात्कार होने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री रामदेव सिंह, सदस्य, सतना जिले के अनेक ग्रामों में अवैध उत्खनन किये जाने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री मनोहरलाल राठौर, सदस्य, हरदा स्थित सोयाबीन प्लांट से प्रदूषित जल निकासी से उत्पन्न स्थिति की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री गोविंद मिश्रा, सदस्य, सीधी जिले के अनेक ग्रामों में ट्यूबवेल बंद होने से सिंचाई कार्य प्रभावित होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री ओमप्रकाश खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम सिरसौद में डकैती की घटित घटना की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री राजाराम तोडेम, सदस्य, बस्तर जिले में बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना में उत्खनन से प्रदूषण फैलने से उत्पन्न स्थिति की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री कमल किशोर पटेल, सदस्य, होशंगाबाद जिले के हरदा एवं टिमरनी क्षेत्र के अनेक ग्रामों में सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी न मिल पाने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री कैलाश कुण्डल, सदस्य, भिण्ड जिला प्रशासन द्वारा अवैध रूप से बंदूकों के लायसेंस जारी किये जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.